

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). ११ नवम्बर, १९६२ को दिल्ली के नजफगढ़ सड़क पर जो आग लगी थी उसमें वे सभी इमारतें जल गई थीं जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के आठ उद्योग चल रहे थे। अनेक मशीनें, लेथ, बेल्ट ड्राइव द्वारा चलने वाले विद्युत प्रेषण आदि भी जल गये थे। जांच पड़ताल से आग का निश्चित कारण नहीं पता लग सका। आग शायद बिजली के शार्ट सर्किट के कारण लग गयी थी।

चीनियों द्वारा युद्ध विराम के कथित प्रस्ताव के बारे में वक्तव्य

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपको और सभा को अपने नये प्रतिरक्षा मंत्री श्री यशवन्त राव चौहान का परिचय दे दूँ ?

†अध्यक्ष महोदय : सभा में उनका हार्दिक स्वागत किया है। मैं भी अपनी ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : रेडियो प्रसारणों से पता चलता है कि चीन सरकार ने घोषणा की है कि वे २१/२२ नवम्बर को आधी रात से युद्ध विराम कर देंगे और पहली दिसम्बर से वर्तमान स्थिति से अपनी सेना को पीछे हटाना आरम्भ कर देंगे। यह एकतरफ़ी घोषणा है। अभी तक सरकारी तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ज्योंही चीन सरकार से सरकारी सन्देश मिलेगा, हम पूर्ण रूप से उस पर विचार करेंगे। तब तक चीनी प्रस्तावनाओं पर मैं अपनी राय नहीं दूंगा। बातचीत के बारे में जिस स्थिति की हमने पहले घोषणा की है वही है अर्थात् ८ सितम्बर १९६२ से पहले की स्थिति बहाल कर दी जाए। हम मित्र देशों से सहायता लेते रहा करेंगे और अपने देश की प्रतिरक्षा को सुदृढ़ बनाने और आर्थिक शक्ति को प्रबल बनाने की कोशिश करते रहेंगे।

हम उन मित्र देशों जिन्होंने कठिनाई के समय हमें सहायता, सहानुभूति और अपने समर्थन की पेशकश की है आभारी हैं।

हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया है और हम इसे दोहराते हैं कि किसी भी दिशा में किसी के क्षेत्र पर कब्जा करने की हमारी इच्छा नहीं है और हमारा ध्येय अपने पड़ोसियों के साथ शान्ति से रहना है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की है और उस सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया है, वह भी प्रधान मंत्री जी ने बताई है। क्या इन तमाम बातों को देखते हुए यह संभव प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में आप इस प्रकार की भी कोई योजना बनायेंगे कि जिस आधार पर कुछ मध्यस्थ देशों द्वारा समझौते के प्रयास किए जा रहे थे, उनको आगे बढ़ाया जाए अथवा आप तैयारियों को जिस स्तर पर वे चल रही थीं, उसी स्तर पर बराबर बनाये रखेंगे

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब तो दे दिया गया है।

†श्री हरि विष्णु कामत (हौशंगाबाद) : चीनी सरकार अपने घोखे की नीति में बहुत होशियार है। जब स्थिति अभी खराब है तो संसद का अधिवेशन जारी रहना चाहिए।

[श्री हरि विष्णु कामत]

पहले प्रधान मंत्री ने बातचीत के लिये ८ सितम्बर तक की स्थिति की शर्त रखी थी। अब उन्होंने अपने देश के नाम संदेश में यह कहा है कि कोई बातचीत नहीं की जायेगी जब तक कि चीनियों को देश से निकाला नहीं जाता। आशा है कि प्रधान मंत्री संसद को आश्वासन देंगे कि वे उस नीति पर डटे रहेंगे।

मैं प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि जिन मित्र देशों ने हमारी सहायता की है उनकी सलाह से इस मामले में कदम उठाए जाएं।

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): क्या सरकार को चीनियों के सुझाव के बारे में कोई पत्र भिला है और क्या इसका विश्लेषण किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिये जिन की जानकारी नहीं दी गई है। सदस्य अपने सुझाव दे दें या प्रतिक्रिया बता दें। उन्हें प्रधान मंत्री के वक्तव्य देने के लिये बाधित भी करना चाहिये।

श्री त्यागी (देहरादून) : मैं श्री कामत से सहमत हूँ कि संसद का अधिवेशन बढ़ा देना चाहिये कोई अंतिम निर्णय करने से पहिले जिन मित्र देशों ने हमारी सहायता की है उन की राय ले लेनी चाहिये।

†श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : मैं प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि कोई निर्णय करने से पहिले सब पहलुओं पर विचार किया जाये और सभा की भी राय ली जाये।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, कम्युनिस्ट चीन के रेडियों पर जो युद्ध विराम की खबर आई, उस का मेरे पर और दूसरे बहुत से लोगों के ऊपर जो असर हुआ है वह यह कि पहली बात तो यह हो सकती है कि यह धोखा हो। जान पड़ता है कि उन्होंने जो समय मांगा है उस में अपनी स्थिति को मजबूत कर के वे हमें और ज्यादा परेशानी में मुब्तिला करेंगे। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि शायद यह ईमानदारी की बात हो। लेकिन दोनों सूरतों में, चाहे वह ट्रिक अथवा धोखा हो या ईमानदारी हो, हमें अब किसी तरह से अपने प्रयत्नों में रिलैक्सेन नहीं करना है। हमें पूरी यारी करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह तो उन्होंने ही कहा है।

श्री राम सेवक यादव : दूसरी बात यह कि प्रधान मंत्री के रेडियों भाषण, इस सदन के कल के बयान और आज की मौजूदा स्थिति के बाद फिर ८ सितम्बर की बात आज मेरे ऐसे लोगों को थोड़ी खटकती है।

तीसरी बात यह है कि मैं श्री कामत के सुझाव से सहमत हूँ कि मौजूदा स्थिति में पार्लियामेंट का चलना नितांत आवश्यक है।

†श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : यह चीनियों के धोखा देने का एक उदाहरण है। उनकी सामरिक नीति प्रधान मंत्री जी को अच्छी तरह पता है।

†श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-केन्द्रीय) : हम ने सारी बात प्रधान मंत्री पर छोड़ी है। हमें इस प्रकार बर्ताव करना चाहिये जिस से यह स्पष्ट हो कि सारे देश में एकता है और सारा देश सरकार के पीछे है।

†श्री रंगा (चित्तूर) : यदि हम संकल्प पर चर्चा देखें तो पता चलेगा कि यह कहना गलत है कि प्रत्येक बात प्रधान मंत्री पर छोड़ दी है। सारी बात तो संसद् के हाथ में है।

संसद् का गोपनीय सत्र होना चाहिये। जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा है।

दूसरे संसद् को स्थगित नहीं करना चाहिये। इस मामले में संसद् की सलाह से काम होना चाहिये।

†श्री बड़े (खारगोन) : चीनियों का युद्ध विराम का और अपनी सेना को पीछे हटाने का प्रस्ताव संसार की राय को खराब करने और हमारी युद्ध कोशिशों को धीमे करने का है।

मैं प्रधान मंत्री से पूछता हूँ कि क्या युद्ध विराम के प्रस्तावों को प्रधान मंत्री ने नहीं माना है।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सूचना पीकिंग से आयी है कि सीज फायर किया जाएगा, यदि वह सूचना सही होती तो मुझे खुशी होती। लेकिन वास्तव में यह हमारी मनोवृत्ति को जानने के लिये उनकी एक चाल की तरह से है। यह मैंने अपनी छोटी सी बुद्धि से सोचा है। अभी अभी इस सदन में उस का एक अन्तर था। मैं सोचता हूँ कि यह जो सीज फायर की सूचना है यह एक शान्तिभरे सागर की तरह है। जब सागर में शान्ति होती है तो वह बहुत बड़ी अशान्ति की सूचक होती है। हम अभी तक जिस ताकत से तैयारी कर रहे हैं हमको उससे भी ज्यादा ताकत से तैयारी करनी चाहिये। हमें इस सूचना से आरामतलबी में नहीं पड़ना चाहिये।

साथ ही साथ मेरी एक और बिनती है कि जो हमारे बीच में इस जरा सी खबर के आने से यह असर हुआ है यह नहीं होना चाहिये। मैं सोचता हूँ कि हम अपनी ही मातृभूमि में बीस किलोमीटर पीछे कैसे हट सकते हैं। यह तो समझ में आने की बात नहीं। हमें अपनी तमाम ताकतों को पूरी तरह लगाये रखना चाहिये। मालूम होता है कि यह किसी प्रेशर के अन्तर्गत हो रहा है, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इन चालों से होशियार रह कर हमें पूरी ताकत के साथ मुकाबले के लिये तैयार रहना है।

श्री बिशन चन्द्र सेठ (एटा) : मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कहा, अभी उनके पास कोई आफिशियल सूचना पीकिंग से नहीं आयी है। मैं समझता हूँ कि जब तक कोई आफिशियल सूचना न आ जाये तक तब गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन इस के बारे में होना भी नहीं चाहिये। लेकिन जैसा कि और लोगों ने भी कहा है, मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमें सतर्क होना जरूरी है। चाइनीज की बात सत्य मानना बड़ा दुखद होगा क्योंकि अब तक का हमारा अनुभव बहुत विपरीत रहा है।

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : मैं एक बात कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अगर मैं आपको इजाजत दे दूंगा तो और मेम्बर भी बोलना चाहेंगे। आपकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब बोल देंगे।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने अपने कुछ समय पहले दिये गये छोटे वक्तव्य में बताया है कि हम चीनी सरकार के पत्र पर विचार करेंगे और उस पर तब राय देंगे। मैंने इस पर विचार नहीं किया है और इस के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

प्रतिक्रियाएं बनाई हैं और मैंने उन्हें सुना है। इस प्रकार के या किसी गम्भीर विषय में सरकार को इस के सब पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करना पड़ता है और फिर राय बना कर उसे कार्यान्वित करना होता है। मैं और नहीं कहना चाहता। श्री कामत ने मेरे संदेश का जिक्र किया जैसा कि मैंने जो सदन को यहां बताया है और राष्ट्र के नाम संदेश में बताया है उनमें कुछ अन्तर है। हमने काफी विचार के बाद कुछ समय पहले कहा कि ८ सितम्बर से पहले की स्थिति बहाल कर दी जाए। हम सदैव उस पर डटे रहे हैं और अब भी उसी को ठीक मानते हैं।

†श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : ८ सितम्बर ? भारत के लोग ऐसा नहीं चाहते। मुख्य संकल्प में उन्होंने ने ऐसा नहीं कहा।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इस मामले के सम्बन्ध में हमारी जो स्थिति रही है मैं उसे ही बता रहा हूं। हर २४ घण्टे के बाद हम उसे नहीं बदलते। यह बड़ी अच्छी और मजबूत स्थिति है और जैसा मैंने पहले कहा है जब तक वह स्थिति बहाल नहीं हो जाती हम बातचीत नहीं करना चाहते। बातचीत की कई अवस्थाएँ होंगी और जब बातचीत होगी तो पहली अवस्था में इस बात पर विचार होगा कि बातचीत करने के लिये परिस्थितियाँ कैसे बनाई जाएं।

एक दो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि चीनी सरकार को उत्तर भेजने से पहले हमें उस पर यहां विचार करना चाहिये। यह बड़ी अजीब प्रक्रिया है। यहां तो सामान्य सिद्धान्तों पर विचार किया जाता है और सभा जो भी फैसला करे हम उस के अनुसार चलते हैं। सरकारों के आपस के पत्र व्यवहार पर चर्चा करना बहुत असामान्य बात है। ऐसा करना अवांछनीय है और हानिकारक है। हम इस प्रकार सरकारों के साथ बातचीत नहीं कर सकते।

चौथे, एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि संसद् का सत्र बढ़ा दिया जाए। इस बात का आपने और सदन ने निर्णय करना है। इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। चीन सरकार से जो पत्र आता है हमने उस पर केवल ध्यानपूर्वक विचार ही नहीं करना है, परन्तु अपनी राय बनाने से पहले देखना है कि वे उसे कैसे कार्यान्वित करते हैं। उन के अनुसार भी विराम युद्ध जो आज रात से होगा उसे के अतिरिक्त—वे पहली दिसम्बर से पीछे हटना आरम्भ करेंगे। अतः वे क्या करते हैं इसे देखने में कुछ समय लगेगा। यह संसद् का सत्र कुछ दिन बढ़ाने का प्रश्न नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं।

†श्री हरि विष्णु कामत : जो संकल्प सभा ने मंजूर किया उस में ८ सितम्बर की लाइन का कोई जिक्र नहीं है।

डा० गोविन्द वास : मैं एक बात कहना चाहता हूं जो अभी तक किसी ने नहीं कही है। इसके लिये मुझे एक मिनट का समय दिया जाए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर जितने भाषण हुये उन भाषणों में और श्री हीरेन मुखर्जी के भाषण में कितना फर्क है इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिये। हमारे देश के अन्दर हमारे साथ कितने लोग हैं और कितने अन्दर ही अन्दर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं उसका कुछ आभास श्री हीरेन मुखर्जी के भाषण से मिलता है। इस लिये हम को उनके दल से बहुत आगाह रहने की आवश्यकता है। मैंने पहले भी यह कहा था और आज भी कहता हूं।

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह ऐसी बातें कहने का समय नहीं है ।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : ये शब्द या तो वापस लिये जाएं या अभिलेखों में से हटाए जाएं ।

†अध्यक्ष महोदय : ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये था । इतना ही काफी है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†खान और ईंधन मंत्रालय में मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : मैं तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा ३१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४४४ में प्रकाशित तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (तीसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५६२/६२]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (बजट और लेखे) नियम

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम १९५६ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २६ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२१८ में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (बजट और लेखे) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५६३।६२]

कापी राइट अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : मैं कापी राइट अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

(एक) दिनांक १८ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २६०० में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (छटा संशोधन) आदेश, १९६२ ।

(दो) दिनांक १८ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २८७८ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (सातवां संशोधन) आदेश, १९६२ ।

(तीन) दिनांक १८ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २९४४ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (आठवां संशोधन) आदेश, १९६२ ।

(चार) दिनांक १८ अक्टूबर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३१९५ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (नौवां संशोधन) आदेश, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५६४/६२]